हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

श्रीनारायण बनाम मनमोहन वगै.
प्रा. पत्र 212 आर. टी. एक्ट

20.11.13 आज यह प्रा. पत्र धारा 212 आर. टी. एक्ट का वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया कि आराजी विवादित हाल ख. सं. 1358/0.11, 1359/0.58 1706/014, 1708/0.18, 1727/0.20, 1753/0.44, 1763/041, 1787/0.03, 1788/0.06, 1847/0.24 वाके ग्राम आमकीवाल तह. राजगढ मे स्थित है उक्त आराजी से प्रार्थी को उसके हिस्सेनुसार कार्य काश्त मे किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत न करें नहीं आराजी का अन्तरण करें साथ मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रा. पत्र प्रार्थी शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुये अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दि. 13/1/14 तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी को उसके हिस्से मुताबिक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। साथ मे नोटिस भी जारी हो कि इस सम्बन्ध मे उन्हे कोई एतराज हो तो दि. 13/1/14 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हों।

उप खण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

13/2-14 वकील वादी उप. वास्ते तलबजो प्रतिवादी पेशी 17/2/2014 को पेश हो ना। तब तक प्रभावी रहेगा।
820-R

[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
26/09/25 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थी जवाब पेश कर दि. 29/9/25 को पेश हो। SDO	
29/09/25 पत्रावली ~~पेश~~ पेश। वकील प्रार्थी उप०। मूलवाद मु. सं. 01/303/13 को दावा वादी डिक्री हो जाने के कारण प्र. पत्र 212 की कार्यवाही ड्राप की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूलवाद नं. 01/303/13 संलग्न होकर बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो। SDO	